राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 789 / 2024

संतोष कुमार नायक —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, राजस्व, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, कोटा संभाग, कोटा।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 26.02.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रदीप माथुर, अधिवक्ता

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी की अपीलार्थी भू—अभिलेख निरीक्षक के पद पर नगर विकास न्यास, कोटा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से भू—अभिलेख निरीक्षक वृत्त आंवलीकलां, तहसील पंचपहाड़ जिला झालावाड़ में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि राजस्थान भू—राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 26.03.2010 (अनुलग्नक—2) के द्वारा कलेक्टर किसी भू—अभिलेख निरीक्षक का स्थानान्तरण जिले के भीतर कही भी कर सकेगा, संभागीय आयुक्त किसी भू—अभिलेख निरीक्षक का स्थानान्तरण संभाग के भीतर कही भी कर सकेगा और राजस्व बोर्ड किसी भू—अभिलेख निरीक्षक का स्थानान्तरण राज्य के भीतर कहीं भी कर सकेगा। अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा किया गया है, जो स्थानान्तरण नीति का उल्लंघन करते हुए किया गया है। अपीलार्थी की पत्नी गंभीर बीमारी से पीड़ित है एवं दुर्घटना के कारण चलने—फिरने में समस्या रहती है। अपीलार्थी के बेटे की कोविड—19 के कारण मृत्यु हो गई है। अपीलार्थी की पत्नी की देखभाल अपीलार्थी के द्वारा ही की जाती है, उनकी देखभाल करने वाला परिवार में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर एसबी सिविल रिट पीटिशन संख्या 7277 / 2006 नरेश कोली बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 08.11.2006 का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण भी समान बताया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार

फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर नगर विकास न्यास कोटा में कार्य करने दिया जावे।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओ की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर नगर विकास न्यास, कोटा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त आंवलीकलां, तहसील पंचपहाड़ जिला झालावाड़ में प्रशासनिक कारणों से राज्यहित में किया गया है।

5. यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

6. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

7. आदेश आज दिनांक ..... को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य